rhljk v/;k;

yunu y[kkijh{kk

3.1 fu;ek] vkn'kk] ifØ;kvk bR;kfn dk vuqikyu u fd;k tkuk

3.2 vlko/kkuh@i'kklfud fu;=.k e foQyrk

rhljk v/;k;% yunu y[kkijh{kk

सरकारी विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं तथा स्वशासी निकायों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में कमी तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। इन्हें व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

3-1 fu;ek] vkn'kk] ifØ;kvk bR;kfn dk vuikyu u fd;k tkuk

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किए जाने से संबंधित कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

Ldy f'k{kk foHkkx

3-1-1 oru vkj HkRrk dk lfnX/k dVi.k vkgj.k ,o lforj.k

e/;in'k dk"kky; lfgrk d iko/kkuk d vulkj vkgj.k ,o lforj.k vf/kdkjh }kjk okfNr tkp u fd; tku d dkj.k jkf'k ₹ 8-27 yk[k d oru ,o HkRrk dk lfnX/k dVi.k vkgj.k vkj lforj.k gvkA

e/;in'k dk"kky; lfgrk d fu;e&193 d vulkj vkgj.k ,o lforj.k vf/kdkjh ¼Mh-Mh-vk-½] nkok dh Lohdk;Z jkf'k dk dk"kky; l vkgj.k ,o mldk forj.k dju d fy, ftEenkj gA iek.kd e n; jkf'k dk 'kCnk ,o vdk nkuk e Li"V djr g, Mh-Mh-vk- l fof/kor gLrk{kfjr@vk|k{kfjr ,d Hkxrku vkn'k vo'; gkuk pkfg, tk L;kgh l 0;fDrxr :i l gLrk{kfjr gkA vkx] e/; in'k dk"kky; lfgrk d fu;e&198 d vulkj vf/kd iHkkj d fy, ftEenkjh iFker% n;d d vkgj.kdrk dh gkxh] mld }kjk nk"ki.k mi{kk dh fLFkfr e olyh ij fopkj djuk pkfg,A

ikpk;Z dk depkfj;k d oru d vkgj.k ,o lforj.k d vf/kdkj iR;k;kftr fd, x, FkA dk;ky; e oru n;d y[kdkj }kjk r;kj fd, x, Fk tk Mh-Mh-vk- d :i e ikpk;Z }kjk ikfjr fd, x, vkj b&Hkxrku }kjk vkgj.k ,o lforj.k d fy, dk"kky; dk iLrr fd, x,A

dUnh; y[kkijh{kk e iek.kdk dh loh{kk rFkk vkx dk;ky; ikpk;] dU;k mPprj ek/;fed fo|ky;] vkykV] jryke e oru n;dk l lcf/kr vfHky[kk dh foLrr loh{kk ¼fnlEcj 2014½ e ikdV gvk fd y[kdkj u tuojh l uoEcj 2014 rd fo|ky;k d leg d lgk;d f'k{kdk@depkfj;k@lfonk f'k{kdk d oru ,o HkRrk dk dk"kky; l vkgj.k dju d fy, nk iFkd n;d r;kj fd,] iR;d n;d e ,d vkgj.k lph vkj ,d b&Hkxrku lph FkhA

geu n[kk fd tuojh l uoEcj 2014 rd dh vof/k gr oru ,o HkRrk d fy, n; jkf'k ₹ 217-49 yk[k d fo:) jkf'k ₹ 225-76 yk[k dk dVi.k vkgj.k ,o lforj.k fd;k x;k tSlk fd ifjf'k"V 3-1 e of.kr gA

;g dk;l i.kkyh viukbl xbl Fkh fd tuojh 2014 ds iFke oru n;d esa 56 lgk;d f'k{kdksa ds uke vkgj.k lwph esa 'kkfey Fks A ys[kkdkj us ,d lgk;d f'k{kd ds oru ,oa HkRrksa ds fo:) dVkSrh.k vf/kd jkf'k 'kkfey dh Fkh tcfd bl&Hkqxrku lwph esa ljy Øekadks dk cnydj vkSj NkaMdj dVkSrh.k vf/kd jkf'k dk nks Hkkxksa esa foHkkftr dj nks iFkd lgk;d f'k{kdksa ds uke ds fo:) n'kkZ;k] ftlls bl&Hkqxrku lwph esa lgk;d f'k{kdksa dh la[;k 58 rd c<+ xbZA ;s lgk;d f'k{kd og Fks ftUgsa mlh ekg ds nlljs oru n;d ls Hkqxrku fd;k x;k FkkA ys[kkdkj }kjk tuojh 2014 ds nlljs oru n;d esa bl h ifØ;k dks viuk;k x;k FkkA vkgj.k lwph esa 68 lgk;d f'k{kdksa ds uke 'kkfey Fks tcfd bl&Hkqxrku lwph esa 70 lgk;d f'k{kdksa ds uke 'kkfey FksA ys[kkdkj us nks vfrfjDr lgk;d f'k{kdksa ds uke 'kkfey fd, ftUgsa tuojh 2014 ds igys oru n;d ls Hkqxrku dj fn;k x;k FkkA blh i)fr dks uoEcj 2014 rd viuk;k x;kA

bl vkj bfxr fd, tkus ij lpkyuky;] ykd f'k{k.k us crk;k ¼ekpZ 2015½ fd ₹ 8-27 yk[k olwy dj dks"kky; esa tek fd, x;s Fks rFkk dks"kky; pkyku lyXu fd;kA vkxs] crk;k x;k fd iz/kkuk;Z dks e/;izns'k vkpj.k fu;e ds vUrxZr ukfVl tkjh fd;k x;k FkkA

;fn izkpk;Z }kjk oru n;dksa dk dks"kky; ls vkgj.k ,oa lfEorj.k ls igys e/;izns'k dks"kky; lafgrk ds vuqlkj fu/kkZfjr tkap dh tkrh rks bl lansgkLin dVkSrh.k Hkqxrku dk Vkyk tk ldrk FkkA vkxs] lpkyuky; }kjk dh xbZ dkjokbZ i.kZ ugha gS D;kafd dVkSrh.k oru ds vkgj.k esa 'kkfey leLr deZpkfj;ksa@lgk;d f'k{kdksa ds fo:) vko';d dkjokbZ vo'; fd;k tkuk pkfg,A

izdj.k 'kklu dks izfrosfnr fd;k x;k Fkk ¼ebZ 2015½(mudk mRrj izkIr ugha gqvk ¼flrEcj 2015½A

3-1-2 ₹ 0-24 yk[k dk lafnX/k xcu

Hkqxrku gsrq izLrqr chtdksa esa gsjkQsjh djds vadksa esa Qsjcny dj dVkSrh.k <+x ls ftyk ifj;kstuk leUo;d ¼Mh-ih-lh½] ftyk f'k{kk dsUnz] bUnkSj ds dk;kZy; esa 'kkldh; /kujkf'k ₹ 0-24 yk[k dk xcu fd;k x;kA

e/;izns'k dks"kky; lafgrk ¼,e-ih-Vh-lh-½ ds fu;e 397 ds vuqlkj ;fn foHkkxh; fofu;eksa esa vU;Fkk micfU/kr ugha gks] Hk.Mkj Ø; gsrq Hkqxrku ds leFkZu esa izLrqr fd, x, n;d ds lkFk ,d izek.k i= fd izek.kdksa esa of.kZr oLrq,sa okLrfod :i ls izkIr gks pqdh gSa] rFkk HkaMkj iath esa nt dh tk pqdh gS] layXu gksxkA vkgj.k vf/kdkfj;ksa }kjk vkiwfrZdrkZ ds chtdksa] n;dksa bR;kfn ij ,slh vkifRr;ksa ;k Hk.Mkjksa dks ntZ djus ds lanHkZ esa Hk.Mkj iath dk i"B Øekad fn;k tkuk pkfg,A ;g Hkh izekf.kr fd;k tkuk pkfg, fd mudh ek=k lgh gS ,oa mudh xq.koRrk vPNh gS vkSj fofunsZ'ku ds vuqlkj gS ,oa Hkqxrku dh njsa Lohd`r dh xbZ ;k ckt+kj njksa ls vf/kd ugha gSA

fodkl [k.M lzkslu leUo;d ¼ch-vkj-lh-½ dks tuin f'k{kk dsUnz ij Hkqxrku djus ds fy, vf/kd`r fd;k x;k gSA lacaf/kr ys[kkdkj }kjk n;dksa dks fodkl [k.M 'kS{kf.kd leUo;d ¼ch-,-lh-½ rnqijkUr fodkl [k.M

lalk/ku leUo;d dks iLrqr fd, tkrs gSa ftlls lHkh lqlaxr fu;eksa ds vuq:i lefpr tkap ds mijkUr Hkqxrku gsrq ns;d ikfjr djuk pkfg, vkSj fQj pSd tkjh djuk pkfg,A

dk;kZy; ftyk ifj;kstuk leUo;d ¼Mh-ih-lh-½] ftyk f'k{kk dsUnz] bUnkSj ds v/khuLFk dk;kZy;ksa ds ekg ekpZ 2013 ds izek.kdksa dh leh{kk ¼Qjojh 2015½ esa izdV gqvk fd fodkl [k.M lalk/ku leUo;d] tuin f'k{kk dsUnz] bUnkSj uxjh;-II ds Cykd 'kS{kf.kd leUo;d }kjk pkj chtdksa ds lkFk jkf'k ₹ 26]580 ds Hkqxrku gsrq dk;kZy;hu Vhi iLrqr dh xbZ FkhA dk;kZy; fodkl [k.M lalk/ku leUo;d] tuin f'k{kk dsUnz] bUnkSj tks Hkqxrku gsrq vf/kd`r Fks] ns;d dks Hkqxrku gsrq ikfjr dj fodkl [k.M lalk/ku leUo;d] tuin f'k{kk dsUnz] bUnkSj ds cSad [kkrk Øekad 31686923868 ¼Hkkjrh; LVsV cSad½ ij vkgfjr jkf'k ₹ 26]580 dk pSd Øekad 191492 fnukad 26-03-2013 tkjh fd;k x;k ftldk CYkkd 'kS{kf.kd leUo;d }kjk fnukad 12-04-2013 dks uxnhdj.k djk;k x;k FkkA

vkxs uksV'khV vkSj izek.kdksa dh tkap esa izdV gqvk fd foØsrk ds pkj ns;dksa esa ls nks ns;dksa vFkkZr~ Øekad 130 fnukad 30-12-2012 vkSj Øekad 135 fnukad 25-01-2013 esa gtkj dh la[;k dh la[;kRed izfof"V dj Hkqxrku dh jkf'k tkucw>dj c<+kbZ xbZ FkhA bl dkj.k ls] bu ns;dksa esa iznk; lkexzh dh nj] vkiwfrZ ek=k vkSj 'kCnksa esa :i;s Hkqxrku gsrq ikfjr jkf'k ds lkFk esy ugha [kk jgs FksA ;g Hkh ik;k x;k fd uksV'khV vuqeksfnr ugha Fkh vkSj ns;dksa dk Hkqxrku gsrq fodkl [k.M lalk/ku leUo;d }kjk ikfjr ugha fd;k x;k FkkA Hk.Mkj iath esa izfof"V Hkh ugha dh x;h FkhA nksuksa ns;dksa ftuesa gtkj dh la[;k dh izfof"V dh xbZ Fkh dk fooj.k fuEukuqlkj gS%

(jkf'k ₹ esa)

izek.kd vkSj pSd dk fooj.k	foØsrk dk ns;d Øekad o fnukad	iznk;r lkexzh dk uke	ek=k	nj ¼₹ esa½	ns;d dh okLrfod jkf'k	la[;k izfo"Vh ds ckn ns;d dh jkf'k	Qjcny ds dkj.k vf/kd vkgj.k
izek.kd Ø-166] fnukad 26-03-2013 vkSj pSd Øekad 191492 fnukad 26-03-2013	**130/ 30.12.12**	bUVjuSV iz.kkyh dh ejEer@ih-Mh-,Q- lekL;k lek/kku	**01**	mYys[k ugha	**350**	**8,350**	**15060**[1]
		VsyhQksu dscy	40 QhV	₹ 4 izfr QhV	**160**	**7,160**	
	135/ 25.1.13	12&, Vksuj fjfQfyax	**1**	**350**	**350**	**9,350**	**9000**
				;ksx	**860**	**24,860**	**24,060**

bl izdkj] Hkqxrku gsrq iLrqr chtdksa@ns;dksa dh tkap vkSj mUgsa ikfjr djus gsrq vkSfpr fu;a=.k r=a bl izdj.k esa ugha ik;k x;k Fkk ftlls Cykd 'kS{kf.kd leUo;d dks jkf'k ₹ 24]060 dk lafnX/k diVi.kZ Hkqxrku gqvkA pkjksa ns;dksa dh okLrfod jkf'k ₹ 2]520 Fkh tcfd jkf'k ₹ 26]580 Hkqxrku gsrq ikfjr dh xbZ FkhA

1 गलत संख्या प्रविष्टि पश्चात्, कुल देयक की राशि ₹ 15,510 हो गई, जिसके विरूद्ध राशि ₹ 15,570 पारित किया गया, परिणामस्वरूप राशि ₹ 15,060 का अधिक आहरण हुआ ।

bl vkj bfxr fd, tkus ij] Mh-ih-lh-] bUnkj }kjk rF;k ,o vkdMk dk lR;kiu fd;k x;k ¼Qjojh 2015½A blds vfrfjDr ;g voxr djk;k x;k ¼vDVcj 2015½ fd fodkl [k.M 'k{kf.kd leUo;d d f[kykQ iFkfedh nt djus dh dk;okgh 'k: dh xbZ gSA

rF; ;g g fd Hkxrku gr iLrr n;dk d leFku e nLrkot k vFkkr chtdk dk vkgj.k ,o lforj.k vf/kdkjh }kjk Hkxrku dju d io lefpr tkp@lR;kiu ugh fd;k x;k Fkk] bu tkpk d vHkko e lfnX/k diVi.k Hkxrku gvkA

idj.k 'kklu dk ifrofnr fd;k x;k ¼ebZ 2015½] mudk mRrj iklr ugh gvk ¼flrEcj 2015½A

fpfdRlk f'k{kk foHkkx

3-1-3 vk"kf/k;k dh [kjhnh ij vf/kd Hkxrku

mPp njk ij vk"kf/k;k dh [kjhnh dju d dkj.k idk;drkvk dk jkf'k ₹ 1-20 djkM dk vf/kd Hkxrku fd;k x;kA

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.) के नियम 9(i) में प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा है कि वह लोक निधि से व्यय करने के संबंध में वही सतक्रता बरते जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करने के बारे में सामान्य दूरदर्शिता का परिचय देता है। म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम 10 में प्रावधान है कि प्रदायित धन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर मितव्ययितापूर्वक किया जाना चाहिए। विभागाध्यक्ष उसके स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों दोनों में समस्त संबंधित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के पालन के लिए जिम्मेदार है।

मध्यप्रदेश शासन की औषधि नीति वर्ष 2009 के अनुपालन में औषधियों की अधिप्राप्ति की विकेन्द्रीकृत पद्धति मध्यप्रदेश में अगस्त 2010 से लागू की गयी थी। औषधि नीति के अनुसार, जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सी.एम.एच.ओ.)/सिविल सर्जनों (सी.एस.) द्वारा चयनित एजेन्सी के पैनल में शामिल औषधि कम्पनियों से कुल आवश्यकता का 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत आपात वितरण के लिए स्थानीय औषधि वितरकों से अधिप्राप्ति करनी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध सभी चिकित्सालयों को पैनल में शामिल कम्पनियों से क्रय करने की बाध्यता से छह माह के लिए छूट प्रदान की थी (जनवरी 2011)। इन मामलों में अधिप्राप्ति क्रय और उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष, क्रय समिति इन्दौर–सी.पी.सी.) द्वारा निर्धारित दर के अनुसार की जानी थी। चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता भंडार क्रय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन औषधियों एवं उपकरणों को क्रय करने के लिए अधिकृत थे जिनकी दरें सी.पी.सी. द्वारा निर्धारित नहीं की गईं थी। विभाग द्वारा औषधियों की निरंतर एवं निर्बाध उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये छूट की अवधि सितम्बर 2013 तक बढ़ाई[2] गई थी। सी.पी.सी. ने क्रय की जाने वाली औषधियों की दर के साथ निर्माताओं को निर्धारित कर दिया था। सी.पी.सी. ने डी.जे. लैबोरेट्रीज प्रायवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित इन्जेक्शन मेरोपेनेम 1 ग्राम की दर ₹ 385 प्रति वाइल अनुमोदित की थी।

[2] 05.09.2012 तक (पत्र दिनांक 06.03.2012 द्वारा), 31.03.2013 तक (पत्र दिनांक 07.12.2012 द्वारा), एवं 30.09.2013 तक (पत्र दिनांक 17.06.2013 द्वारा)

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (जे.डी.एण्ड एस.) जयारोग्य अस्पताल (जे.ए. अस्पतालों का समूह) ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अगस्त 2014) कि औषधि एवं उपकरणों के क्रय हेतु खुली निविदा आमंत्रित कर (सितम्बर 2012) निविदा प्रक्रिया इस शर्त के साथ प्रारंभ की गई थी कि अनुमोदित निविदा दर मार्च 2013 तक अथवा आगामी निविदा के स्वीकृति तक लागू होगी एवं अनुमोदित दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होंगे। सफल निविदाकारों एवं जे.डी.एण्ड एस., जे.ए. अस्पतालों का समूह, ग्वालियर के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे (दिसम्बर 2012)। उक्त अनुबंध के अनुसार निर्माता जैक्सन के इंजेक्शन मेरोपेनेम एक ग्राम की दर राशि ₹ 211.90 प्रति वाइल थी।

क्रय आदेशों, आपूर्ति बिलों एवं पूर्ण संप्रमाणित आकस्मिक बिलों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि चिकित्सालय द्वारा प्रदायकर्ताओं को सी.पी.सी. अनुमोदित दर ₹ 385 प्रति वाइल पर डी.जे. लैबोरेटरी द्वारा निर्मित इंजेक्शन मेरोपेनेम एक ग्राम की आपूर्ति हेतु आदेश जारी किए गए। तथापि अस्पताल को काबरा/डी.जे. नेम द्वारा निर्मित इंजेक्शन मेरोपेनेम एक ग्राम प्राप्त हुआ तथा सी.पी.सी. अनुमोदित दर ₹ 385 प्रति वाइल से भुगतान किया।

इस प्रकार चिकित्सालय द्वारा जैक्सन द्वारा निर्मित इंजेक्शन दर राशि ₹ 211.90 प्रति वाइल की निविदा स्वीकृत की गई थी किन्तु डी.जे. लैब्स द्वारा निर्मित इंजेक्शन सी.पी.सी. अनुमोदित दर ₹ 385 प्रति वाइल की आपूर्ति के आदेश जारी किए गए जबकि दूसरे निर्माता अर्थात काबरा/डी.जे. नेम से आपूर्ति प्राप्त की गई थी जो न तो सी.पी.सी. द्वारा अनुमोदित था और न ही निविदा में निर्णित था।

राज्य के अन्य अस्पतालों में इन प्रदायकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति की हमारे द्वारा की गई प्रति सत्यापन जांच (क्रॉस वैरीफिकेशन) में पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान इंजेक्शन मेरोपेनेम (काबरा) की ₹ 191 प्रति वाइल की दर से एम.वाय. चिकित्सालय, इन्दौर को आपूर्ति की गई थी तथा वर्ष 2012–13 में इंजेक्शन मेरोपेनेम (जैक्सन) की ₹ 210.30 प्रति वाइल की दर से हमीदिया अस्पताल, भोपाल को आपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, हमने यह भी पाया कि फरवरी 2014 में जे.डी.एण्ड एस., जे.ए. अस्पताल समूह, ग्वालियर द्वारा उसी निर्माता (काबरा) का इंजेक्शन मेरोपेनेम 1 ग्राम ₹ 211.90 प्रति वाइल की दर से उसी आपूर्तिकर्ता (मैसर्स सांईबाबा इन्टरप्राइजेज) से क्रय किया गया था।

इस प्रकार, चिकित्सालय ने उच्च दरों पर औषधियां प्राप्त कीं परिणामस्वरूप अवधि जनवरी 2013 से जून 2013 तक के दौरान आपूर्ति की गई औषधि (इंजेक्शन मेरोपेनेम एक ग्राम) हेतु आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹ 1.20 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया ¼foLr`r fooj.k ifjf'k"V 3-2 e½ इस प्रकार विक्रेता को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

इस ओर लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा ने जे.डी. एण्ड एस., जे.ए. अस्पताल समूह, ग्वालियर को खुली निविदा में दर्शाई गई दर अथवा लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई न्यूनतम दर से राशि ₹ 385 के अंतर की वसूली कर राजस्व शीर्ष में जमा करने के निर्देश जारी किए (मई 2015)। इसके अतिरिक्त, जे.डी. एण्ड एस., जे.ए. अस्पताल समूह, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2015) कि राशि ₹ 78.24 लाख की वसूली संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से कर कोषालय में जमा करा दी गई है।

हालांकि, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से अधिक राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी किए गए थे, उच्च दरों पर की गई खरीदी के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

ykd LokLF; ,o ifjokj dY;k.k foHkkx

3-1-4 vf/kd ykxr dh olwyh u gkuk

fjLd ,o dkLV d vk/kkj ij vk"kf/k;k d LFkkuh; Ø; dju e gq, vf/kd 0;; jkf'k ₹ 74-90 yk[k dh olwyh ukfedkxr iznk;drkvk l ugh dh xbZ FkhA

राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में सभी रोगियों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण औषधि और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नई दवा नीति–2009 लागू की गई थी (अगस्त 2009) जिसमें अधिप्राप्ति के लिए विकेन्द्रीकृत प्रणाली प्रावधानित की गई है। तदनुसार, संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) और सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक (सी.एस.) द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम, चेन्नई (टी.एन.एम.एस.सी.) के साथ नामिकागत (इम्पैनल्ड) दवा कम्पनियों को आपूर्ति आदेश जारी करना था तथा उनके द्वारा भुगतान किया जाना था। दवा नीति की कंडिका क्रमांक 18.1.2 के अनुसार यदि 60 दिनों की समय सीमा में प्रदायगी पूर्ण नहीं की जाती है तो आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। केन्द्रीय दर अनुबंध की धारा 12.7 के अनुसार, यदि निविदाकर्ता निर्धारित समय सीमा में आपूर्ति करने में असफल रहता है तब निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टी.आई.ए) आपूर्तिकर्ता की रिस्क एवं कॉस्ट पर किसी अन्य स्रोतों से औषधि एवं दवाओं की खरीद करने हेतु स्वतंत्र है।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे (अक्टूबर 2012) कि राज्य औषधि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एस.डी.एम.आई.एस.) के माध्यम से दिए गए क्रय आदेश की आपूर्ति 60 दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रिस्क एवं कॉस्ट के आधार पर औषधि और दवाओं की अधिप्राप्ति स्थानीय स्तर पर की जा सकती है।

टी.एन.एम.एस.सी. के पैरा 17 (10) (अ) के अनुसार क्रय आदेश की शर्त एवं निबंधन के अनुसार, वैकल्पिक क्रय करने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता की प्रतिभूति जमा को राजसात करने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अन्य स्रोतों/खुले बाजार/अन्य आपूर्तिकर्ता द्वारा उच्च उद्धृत दर पर क्रय करने और प्रक्रिया में अन्य नुकसानों की पूर्ति में, अनुबंधित मूल्य से अधिक व्यय होने पर आदेशकर्ता प्राधिकारी आपूर्तिकर्ता की प्रतिभूति जमाराशि से अथवा अन्य कोई राशि जो आपूर्तिकर्ता को देय हो से वसूली कर सकेगा और इस प्रकार की राशि अपर्याप्त होने की स्थिति में बकाया राशि आपूर्तिकर्ता से व्यक्तिगत रूप से वसूल की जाएगी।

दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान छह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी[3] तथा चार सिविल सर्जन[4] के अभिलेखों (क्रय आदेश, आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत बिलों एवं किए गए भुगतानों इत्यादि) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि टी.एन.एम.

[3] सी.एम.एच.ओ.–बड़वानी (दिसम्बर 2013), डिन्डोरी (अक्टूबर 2014), गुना (जून 2014), इन्दौर (नवम्बर 2014), नीमच (दिसम्बर 2014) और रायसेन (मई 2014)

[4] सी.एस.–बेतुल (मई 2014), होशंगाबाद (जून 2014), उज्जैन (सितम्बर 2014) और उमरिया (फरवरी 2014)

एस.सी. के साथ नामिकागत कम्पनियों को विभिन्न औषधियों की अधिप्राप्ति हेतु राशि ₹ 93,85,060 के क्रय आदेश जारी किए गए थे किन्तु औषधियों की आपूर्ति 60 दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं हुई थी। औषधियों की आपूर्ति न किए जाने के कारण अभिनिश्चित करने के लिए कुछ भी अभिलेखों में नहीं था। हमने पाया कि राशि ₹ 1,68,75,270 की लागत की औषधियां खुले बाजार से स्थानीय रूप में क्रय की गईं किन्तु उपर्युक्त प्रावधानों/दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने वाले चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं से लागत के अंतर की राशि ₹ 74,90,210 की वसूली नहीं की गई थी। विस्तृत विवरण *ifjf'k"V 3-3* में दर्शाया गया है। इस प्रकार, दवा के स्थानीय क्रय पर अधिक व्यय की गई राशि ₹ 74.90 लाख की वसूली टी.एन.एम.एस.सी. के साथ नामिकागत आपूर्तिकर्ताओं/कंपनियों से नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के तथ्यों एवं आकड़ों का सत्यापन किया और सूचित किया कि वसूली प्रक्रियाधीन है, पूर्ण राशि की वसूली पश्चात जानकारी से अवगत करा दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि विभाग द्वारा राशि ₹ 74.90 लाख का अधिक व्यय किया गया और इसकी वसूली हेतु सामयिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

3-1-5 vik= fgrxkfg;k dk vufpr Hkxrku

i:lfr vodk'k lgk;rk ;ktuk d vrxr vik= efgykvk dk jkf'k ₹ 1-02 djkM dk vufpr Hkxrku fd;k x;kA

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति अवकाश सहायता की स्वीकृति एवं भुगतान के लिए शर्तें एवं प्रक्रिया के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे (जुलाई 2014)। योजना यह प्रावधानित करती है कि सात योजनाओं[5] में से किसी एक में पंजीबद्ध श्रमिकों को मातृत्व अवकाश के 45 दिवसों तथा पितृत्व अवकाश के 15 दिवसों की मजदूरी के बराबर राशि की पात्रता थी। यदि पति और पत्नी दोनों पंजीबद्ध श्रमिक थे, तो दोनों ही क्रमशः 15 दिवसों एवं 45 दिवसों की मजदूरी के बराबर भुगतान के पात्र थे। दोनों में यदि कोई एक, श्रमिकों की किसी भी योजना में पंजीबद्ध था तो केवल पंजीबद्ध श्रमिक ही इस योजना के अंतर्गत निर्धारित दर से भुगतान के लिए पात्र था। इस योजना को किसी भी दुरूपयोग से बचाने के लिए और केवल पात्र हितग्राहियों को ही योजना का लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, कलेक्टर द्वारा नियुक्त एक दल द्वारा समय–समय पर योजना के क्रियान्वयन की नमूना जांच की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014/फरवरी 2015) में हमने पाया कि प्रसूति अवकाश योजना के अन्तर्गत अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के दौरान, 1565 प्रकरणों में 60 दिवसों की मजदूरी के बराबर राशि ₹ 1,35,40,140 का भुगतान किया गया था। आगे भुगतान प्रमाणकों के साथ संलग्न पंजीयन विवरणों की जाँच में प्रकट हुआ कि 1565 प्रकरणों में से केवल 46 महिलाएं और 1431 पति श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध थे जो क्रमशः 45 दिवसों और 15 दिवसों की मजदूरी के बराबर राशि के भुगतान के पात्र थे। 88 प्रकरणों में न महिलाएं और न ही पति श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध थे, इस प्रकार ये भुगतान के लिए अपात्र थे और इन हितग्राहियों की पात्रता विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है, इसलिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सन्देहास्पद प्रतीत होती है। तथापि, भुगतान

---

[5] 1–मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, 2–मुख्यमंत्री घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, 3–मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा कल्याण योजना 2009, 4–मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012, 5–भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीबद्ध, 6–मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावती सहायता योजना एवं 7–केश शिल्पी कल्याण योजना 2013

अपंजीबद्ध प्रसूताओं को किया गया परिणामस्वरूप योजनान्तर्गत कुल भुगतान राशि ₹ 1.35 करोड़ में से इन अपात्र महिलाओं को राशि ₹ 1.02 करोड़ का भुगतान अनुचित था विस्तृत विवरण ifjf'k"V 3-4 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना का क्रियान्वयन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर द्वारा नियुक्त दल से कोई नमूना जांच करने का अभिलेखन नहीं पाया गया।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों का सत्यापन किया गया तथा प्रासंगिक नियमों के अनुसार सिद्धांत रूप में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ सहमति व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया गया है इसलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए प्रकरण मंत्रिमण्डल का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए विचाराधीन है।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों (जुलाई 2014) के विपरीत भुगतान किए गए थे क्योंकि केवल पंजीबद्ध श्रमिक ही योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र थे।

3-1-6 eqnzkd 'kqYd dk de vkjksi.k djuk

iV~Vk foys[kksa dk iathdj.k u djk, tkus ,oa de eqnzkd 'kqYd dk vkjksi.k fd, tkus ls 'kklu ₹ 52-13 yk[k ds jktLo ls oafpr jgkA

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ए के अनुच्छेद 33 (ग) के उपबंधानुसार निर्धारित किए गए भाड़ों के अतिरिक्त प्रीमियम पर पट्टा प्रदाय किए जाने पर पट्टा विलेखों पर आठ प्रतिशत[6] की दर से मुद्रांक शुल्क का आरोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण अधिनियम 1908[7] ऐसे पट्टों पर देय मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई पंजीयन शुल्क के आरोपण को प्रावधानित करता है। वर्ष दर वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि या एक वार्षिक किराया आरक्षित करने वाली अचल संपत्ति के पट्टों का पंजीकरण अनिवार्य[8] है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन क्रमांक 3 के पैरा 3.1.3 में रोगी कल्याण समितियों द्वारा पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क के आरोपण पर प्रकाश डाला गया था।

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक विदिशा, धार, पन्ना, अलीराजपुर, अधीक्षक टी. बी. अस्पताल नौगांव (जिला छतरपुर), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के अर्न्तगत सिविल अस्पताल महीदपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के अर्न्तगत सिविल अस्पताल जीरापुर के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा कि जिला अस्पतालों में सिविल सर्जन के अर्न्तगत रोगी कल्याण समितियों ने दुकानों को निजी व्यक्तियों को उच्चतम प्रीमियम पर किराए पर दिया था। रोगी कल्याण समितियों द्वारा जनवरी 1999 से अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान कुल 181 दुकानों[9] को 35/36 महीने के आधार पर आगे विस्तार के लिए प्रावधान के साथ किराए पर दिया गया था। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार, इन लिखतों पर ifjf'k"V 3-5 में वर्णित किए गए अनुसार कुल ₹ 29.95 लाख का मुद्रांक शुल्क देय था। तथापि हमने देखा कि ये लिखतें ₹ 20 से ₹ 1,660 के मुद्रांक पेपर पर निष्पादित की गई थी। परिणामस्वरूप

6 1 अप्रैल 2008 से 7.5 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2011 से 5.0 प्रतिशत पुनरीक्षित।

7 पंजीयन शुल्क की तालिका का अनुच्छेद II

8 पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 (घ)।

9 सिविल सर्जनः अलीराजपुर (06 दुकानें), धार (26 दुकानें), पन्ना (52 दुकानें) तथा विदिशा (08 दुकानें), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के अर्न्तगत सिविल अस्पताल महीदपुर (40 दुकानें), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के अर्न्तगत सिविल अस्पताल जीरापुर (39 दुकानें), अधीक्षक टी. बी. अस्पताल छतरपुर (10 दुकानें)।

₹ 29.95 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण किया गया था। इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि पट्टा विलेखों का पंजीकरण भी नहीं कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.46 लाख का पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार, ifjf'k"V 3-5 में वर्णित अनुसार सरकार ₹ 52.13 लाख के राजस्व से वंचित रही। इससे सिविल सर्जन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाना दर्शित हुआ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराए जाने के कारण शुल्कों का कम आरोपण पंजीयन विभाग के ध्यान में भी नहीं आ सका।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित किया और बताया कि रोगी कल्याण समिति नियमावली 2010 द्वारा रोगी कल्याण समितियों को प्रदत्त शक्तियां निलम्बित कर दी गई हैं और नए विनियम संशोधन के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, सूचित किया गया कि व्यापार नियमों के अनुसार वसूलियां पंजीयन विभाग को सौंप दी गईं थी।

तथ्य यह है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम एवं पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की विफलता की वजह से पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किए जाने के कारण शासन ₹ 52.13 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

Ldy f'k{kk foHkkx

3-1-7 jkT; ckM! dk de!dkj dY;k.k mi!dj dk i!"k.k ugh! fd;k tkuk

ftyk ifj;kstuk leUo;d] ftyk f'k{kk dsUn mTtSu] cqjgkuiqj] bUnkSj vkSj >kcqvk }kjk e/;izns'k Hkkou ,oa vU; lfuek.k de!dkj dY;k.k ckM! dk de!dkj dY;k.k mi!dj ₹ 87-92 yk[k dk i!"k.k ugh! fd;k x;kA

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कर्मकारों को आवासों के निर्माण, बच्चों की शिक्षा, मुख्य बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय एवं अन्य कल्याण उपाय के लिए कर्ज एवं अग्रिम के उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु म.प्र. शासन ने केन्द्रीय अधिनियम 1996 के अनुसरण में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार का नियमन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2002 बनाए। अप्रैल 2003 में, सरकार ने म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया, जिसके अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मई 2003 में, ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से संबंधित राशि पर एक प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर लगाना अनिवार्य कर दिया था। संबंधित विभागों द्वारा इस तरह संग्रहीत किया गया उपकर संग्रहण/कटौती के एक माह के भीतर म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि में डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा कराया जाना था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 2015 के प्रतिवेदन क्रमांक 03 के पैरा 3.2.3 द्वारा राज्य बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर का प्रेषण नहीं किये जाने पर प्रकाश डाला गया था।

जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन, बुरहानपुर, इंदौर तथा झाबुआ के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2014 से मार्च 2015) तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में पाया गया कि इन जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा अवधि 2007–08 से 2013–14 के दौरान 3,980 निर्माण कार्यों के लिए ₹ 87.09 करोड विमुक्त किए गए थे। इन जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा कर्मकार कल्याण उपकर के लिए

राशि ₹ 87.92 लाख की कटौती की गई थी (जैसा कि ifjf'k"V 3-6 में विवरण दिया गया है), जिसे म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण बोर्ड में जमा नहीं किया गया था जबकि प्रावधानों के तहत इस राशि को 30 दिवसों के अन्दर सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण बोर्ड, भोपाल को भेजा जाना था। इस प्रकार, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं प्रावधानों का पालन न करने के कारण, बोर्ड उपकर की राशि ₹ 87.92 लाख से वंचित रहा।

इंगित किए जाने पर, जिला परियोजना समन्वयक उज्जैन ने बताया (दिसम्बर 2014) कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए एक प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए निर्माण एजेंसियों को राशि जारी की गई थी। कटौती की राशि जिले पर उपलब्ध है क्योंकि इसे बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया था। जिला परियोजना समन्वयक इन्दौर ने बताया (फरवरी 2015) कि उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक बुरहानपुर ने कहा (मार्च 2015) कि कल्याण उपकर की राशि शीघ्र जमा की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक झाबुआ ने कहा (फरवरी 2015) कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से निर्देश मिलने के बाद कटौती की राशि बोर्ड को प्रेषित की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कर्मकार कल्याण उपकर के लिए कटौती की गई एक प्रतिशत की राशि बोर्ड को 30 दिवसों के भीतर प्रेषित की जानी थी परन्तु उसे प्रेषित नहीं किया गया जिसके कारण बोर्ड उपकर की राशि ₹ 87.92 लाख से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा भी सभी जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र को निर्देश जारी (अप्रैल 2012) किए गए थे कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए एक प्रतिशत का प्रावधान कर्मकार कल्याण उपकर के लिए अनुमान में ही किया गया है जिसे निर्धारित प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर उपयोग किया जाना है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2015)।

ipk;r ,o xkeh.k fodkl foHkkx

3-1-8 mPprj nj ij lheasV dk vfu;fer Ø;

mPprj nj ij ₹ 1-68 djksM+ dh lheasV dk vfu;fer Ø; vkSj ₹ 52-29 yk[k dk ifjgk;Z vf/kd O;;A

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम के नियम 7 के अनुसार जब तक यह नहीं दर्शाया जा सके कि वे स्वयं सामग्रियों का क्रय अधिक सस्ता अथवा अत्यावश्यकता की दशा में अधिक तत्परता से कर सकते हैं, तब तक भारत में ₹ 50,000 से अधिक प्रत्येक मूल्य का क्रय मांगकर्ता अधिकारी को महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान अभिकरण का उपयोग अवश्य करना चाहिए किन्तु जहां लघु उद्योग निगम मर्यादित के माध्यम से क्रय किया जाना हो तो वहां उपरोक्त प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम के नियम 14 के अनुसार परिशिष्ट–ख में सम्मिलित वस्तुओं का क्रय केवल मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए बिना किया जाना चाहिए। सीमेंट, परिशिष्ट–ख में सम्मिलित नहीं थी, अतः एक आरक्षित वस्तु नहीं थी।

विकास आयुक्त ने निर्देश जारी किए (सितम्बर 2006) कि सीमेंट म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय करने हेतु आरक्षित मद नहीं था इसलिए प्रतिस्पर्धी दरों को आमंत्रित कर और निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर इसका क्रय किया जाना था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2009) कि आगामी आदेश तक सीमेंट का क्रय म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से नहीं किया जाए।

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, संभाग शहडोल के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2014) से प्रकट हुआ कि अवधि 2010–11 से 2012–13 के दौरान राशि ₹ 168.29 लाख की 3,726.39 मीट्रिक टन सीमेंट का क्रय म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया गया अर्थात बिना प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त किए अथवा महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के माध्यम से। यह क्रय विकास आयुक्त के निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों के विपरीत किया गया था।

म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से की गई खरीद की दरों की तुलना, महानिदेशक प्रदाय एवं निपटान की दरों से करने पर यह पाया गया कि म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी करने से ₹ 52.29 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसका विवरण ifjf'k"V&3-7 में दिया गया है। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, शहडोल द्वारा न तो महानिदेशक प्रदाय एवं निपटान और न ही प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ उठाया गया था। इस प्रकार, विकास आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों का पालन न करने के कारण राशि ₹ 1.68 करोड़ की सीमेंट खरीद पर ₹ 52.29 लाख का अधिक व्यय किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, सरकार ने बताया (जुलाई 2015) कि बजट की कमी तथा अग्रिम भुगतान का प्रावधान न होने के कारण महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के माध्यम से खरीद के विकल्प पर विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में यह सूचित किया गया कि विशेष परिस्थितियों में तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं संभाग शहडोल को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से सीमेंट खरीदने की अनुमति दी गई थी (अप्रैल 2010) तथापि खरीद विशेष परिस्थितियों में की गई थी या नहीं की जाँच की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी के लिए सीमेंट आरक्षित मद नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं शहडोल द्वारा 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान सीमेंट लगातार म.प्र. लघु उद्योग निगम से खरीदी गई थी और विशेष परिस्थितियों में की गई खरीद के लिए औचित्य के बारे में रिकार्ड में कुछ भी नहीं था।

3-1-9 tek dk;kZ ij vfu;fer 0;;

,d dk;Z ds fy, iklr vkcaVu dh jkf'k dk mi;ksx nwljs dk;Z ds fy, dj] tek dk;kZ ij ₹ 8-22 djksM+ dk vfu;fer 0;; fd;k x;kA

ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण रखने हेतु मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता को अंगीकृत किया (अक्टूबर 1980)। मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.167 (ड़) के अनुसार कार्य निष्पादन के लिये अपेक्षित निधि को कार्य आरम्भ किये जाने के पूर्व कोषालय में प्राथमिकता से भुगतान अवश्य कर दिया जाना चाहिए परन्तु यदि शासन

इस बात से संतुष्ट हो कि राशि की जब आवश्यकता होगी उपलब्ध हो जावेगी तो वह अंशदाता से नियत दिनांकों पर उपयुक्त किश्तों के द्वारा वसूली को अधिकृत कर सकता है। लोक कार्यों के लिये अंशदान के रूप में जमा राशि पर कोई ब्याज मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.167 (च) और 2.170 क्रमशः यह प्रावधानित करते हैं कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्राप्त अंशदान से आधिक्य व्यय नहीं किया जाएगा एवं एक कार्य के लिये प्राप्त अंशदान को अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, संभाग खरगोन के मासिक लेखों के फार्म–79 की संवीक्षा में पाया गया (जुलाई 2014) कि 19 योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न जमा कार्यों के लिये प्राप्त अंशदान राशि को प्रत्यावर्तित कर ₹ 8.22 करोड़ राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना व्यय किए गए थे जिसका विवरण ifjf'k"V 3-8 में दर्शाया गया है। हमने पाया कि 2013–14 के दौरान तीन योजनाओं अर्थात एम.पी. निधि, राज्य सभा और एन.टी.पी.सी टॉयलेट हेतु ₹ 94.97 लाख प्राप्त हुए थे जिसके विरूद्ध ₹ 1.08 करोड़ व्यय किए गए थे। वर्ष 2013–14 के दौरान शेष 16 योजनाओं के लिये कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2014 से जून 2014 के दौरान राशि प्राप्त किये बिना, कार्यालय द्वारा दो योजनाओं (एम.पी. निधि और 13वें वित्त आयोग) पर ₹ 6.36 लाख व्यय किए गए थे। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि मार्च 2013 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत प्रारंभिक शेष ₹ 2.73 करोड़ था और ₹ 3.16 करोड़ प्राप्त हुए थे। कुल उपलब्ध राशि ₹ 5.89 करोड़ के विरूद्ध ₹ 12.16 करोड़ व्यय किए गए थे। इस प्रकार, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. पर ₹ 6.27 करोड़ अधिक व्यय किए गए थे। अन्य योजनाओं/कार्यों, जिनसे राशि प्रत्यावर्तित की गई और व्यय की गई थी, से संबंधित कोई अभिलेख/तथ्य उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्यालय द्वारा जून 2014 तक अन्य योजनाओं की राशि को प्रत्यावर्तित कर ₹ 8.22 करोड़ अनियमित खर्च किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में विभाग ने तथ्यों एवं आकड़ों को स्वीकार किया और सत्यापित किया, उनके द्वारा पुस्तक समायोजन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये लेखापरीक्षा की सराहना भी की गई।

ykd LokLF; ;kaf=dh foHkkx

3-1-10 vf/kd Hkqxrku

'kklu }kjk fu/kkZfjr lhek ls vf/kd jkf'k ₹ 108-48 yk[k dk vf/kd 0;; gSMiEiksa ds j[kj[kko ij fd;k x;k FkkA

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक हैंडपंपों के रखरखाव के लिए ₹ 500 प्रति वर्ष की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई थी (जनवरी 1991)। हैंडपंपों के रखरखाव के लिए वित्तीय सीमा को ₹ 1,600 प्रति हैंडपंप प्रति वर्ष इस निर्देश के साथ संशोधित किया गया था कि हैंडपंप रखरखाव पर व्यय इस सीमा से अधिक न हो (जनवरी 2014)।

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धार में हैंडपंपों के रखरखाव संबंधी अभिलेखों अर्थात् प्रगति प्रतिवेदन, प्रमाणक नस्तियां इत्यादि की संवीक्षा (जनवरी 2015) में यह पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान 15,723 हैंडपंपों के रखरखाव/मरम्मत पर निर्धारित सीमा राशि ₹ 119.74 लाख के विरूद्ध कुल राशि ₹ 228.22 लाख व्यय

किए गए थे और इस प्रकार हैंडपंपों के रखरखाव पर राशि ₹ 108.48 लाख का अधिक व्यय किया गया था जिसका विवरण ifjf'k"V 3-9 में दर्शाया गया है। हमने देखा कि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धार द्वारा 22.01.2014 तक शासन द्वारा निर्धारित सीमा ₹ 500 और 23.01.2014 से ₹ 1,600 के विरूद्ध हैंडपंपों के रखरखाव पर 22.01.2014 तक ₹ 1,381.72 प्रति हैंडपंप और 23.01.2014 से मार्च 2014 तक ₹ 1,675 प्रति हैंडपंप व्यय किए गए, परिणामतः ₹ 108.48 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमने यह भी पाया कि संभाग में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों और शिकायतों के निराकरण संबंधी अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, संभाग/विभाग द्वारा शिकायत की प्राप्ति एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, शिकायतों की वास्तविक संख्या और मरम्मत किए गए हैंडपंपों की संख्या का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका था।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जनवरी 2015) कि शासन द्वारा ₹ 500 प्रति हैंडपंप की सीमा लगभग 18 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी तथा भुगतान, सामग्री और मजदूरी में वृद्धि हुई दर पर करना होता है इसलिए अधिक भुगतान नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है, इसलिए जनपद पंचायतों के नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी, मुख्यमंत्री हेल्प लाईन एवं लोक सेवा केन्द्र एवं सहायक यंत्री/उपयंत्री/तकनीशियन के मोबाईल पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हैंडपंपों के मरम्मत पर शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया था परिणामतः अधिक व्यय हुआ था और हैंडपंपों के रखरखाव/मरम्मत संबंधी शिकायतों के लिए अभिलेख रखने हेतु कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

xg foHkkx

3-1-11 mPprj njksa ij Ø; ds dkj.k vf/kd 0;;

₹ 2-15 djksM+ dk vfu;fer Ø;] ifj.kkeLo:Ik mPprj nj ij Ø; ds dkj.k ok;jysl lsV ,oa lgk;d midj.kksa dh vf/kizkfIr ij ₹ 64-98 yk[k dk vf/kd 0;;A

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 9(i) में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से लोक निधि से व्यय करते समय उसी सतक्रता का प्रयोग करना अपेक्षित है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के धन का व्यय करते समय करता है और क्रय सबसे मितव्ययी तरीके से किया जाना चाहिए। सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 160 के अनुसार प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन, बोली दस्तावेजों में पहले से शामिल शर्तों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, कोई नई शर्त जो बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं थी बोलियों के मूल्यांकन के लिए नही लाना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) रेडियो, मध्यप्रदेश, भोपाल ने सितम्बर 2011 में 20/25 और 2/5 वाट के वायरलेस सेट एवं उसके सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए खुली निविदाएं (तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां) आमंत्रित की थी। निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) की शर्तों के अनुसार तकनीकी बोली खोलने से पहले तकनीकी परीक्षण

हेतु सेट का एक नमूना प्रदाय करना सभी बोली लगाने वालों के लिए अनिवार्य था एवं यदि नमूना निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार न पाया जाए तो इकाई के लिए उद्धृत दर वाले वाणिज्यिक पत्र को नहीं खोला जाना था। यह प्रावधान भी था कि वाणिज्यिक निविदाओं को केवल तकनीकी बोलियों के अर्हता के बाद ही खोला जाएगा।

एस.पी. (रेडियो), मध्यप्रदेश, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2014) के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने फर्म 'अ' द्वारा उद्धृत दर ₹ 10,122 प्रति इकाई, जो 20/25 वाट के वायरलेस सेटों के संबंध में तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त छह बोली लगाने वालों के मध्य छठवीं सबसे कम बोली थी, को अनुमोदित किया। फर्म को ₹ 117.00 लाख की लागत की 1,152 इकाइयों के लिए आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। आगे, 2/5 वाट वायरलेस सेटों के संबंध में, विभाग ने फर्म 'स' द्वारा उद्धृत दर ₹ 9,324 प्रति इकाई को अनुमोदित किया जो सात बोली लगाने वालों के 11 तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त सेटों के मध्य आठवीं सबसे कम बोली थी। 1,052 इकाईयों के लिए कुल लागत ₹ 98.08 लाख थी।

आगे की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.) ने तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त फर्मों के बारे में अभिलिखित किया (नवम्बर 2011) कि मॉडलों ने न्यूनतम मापदण्डों को पूरा किया और विभाग के लिए उपयोगी थे। फर्म 'अ' को तकनीकी रूप से अर्ह घोषित किया गया और अंततः उसे 20/25 वाट वायरलेस सेटों के संबंध में आपूर्ति आदेश मिल गया। फर्मों को अंतिम रूप देते समय केंद्रीय क्रय समिति (सी.पी.सी.) ने अभिलिखित किया (जनवरी 2012) कि फर्म 'ब', जिसने सबसे कम दर ₹ 8,342 प्रति इकाई उद्धृत किया था, के पास स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। इन मॉडलों को अन्य राज्यों के पुलिस विभाग, सैन्य बलों को विक्रय करने का प्रमाणपत्र भी फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। मॉडल का उपयोग विभाग द्वारा इससे पहले नहीं किया गया था इसलिए उनका प्रदर्शन अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता था। इसलिए, सी.पी.सी. ने क्रय के लिए इस फर्म की अनुशंसा नहीं की। इसी प्रकार के कारण अन्य फर्मों की अनुशंसा न करने के लिए अभिलिखित किए गए जैसा कि ifjf'k"V 3-10 में वर्णित है। सी.पी.सी. ने फर्म 'अ' के मॉडल को क्रय करने की अनुशंसा की जिसने छठवीं सबसे कम दर (₹ 10,122) उद्धृत की थी।

2/5 वाट वायरलेस सेट के संबंध में समिति ने अभिलिखित किया कि फर्म 'द' जिसने ₹ 5,096 का न्यूनतम दर उद्धृत किया था, चीन निर्मित मॉडल प्रस्तावित किया और उसके पास स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था। इसलिए सी.पी.सी. ने मॉडल के क्रय हेतु अनुशंसा नहीं की। इसी प्रकार के कारण अन्य फर्मों की अनुशंसा न करने के लिए दिए गए जैसा कि ifjf'k"V 3-11 में वर्णित है। सी.पी.सी. ने क्रय हेतु फर्म 'स' के मॉडल की अनुशंसा की जिसने आठवां सबसे कम दर (₹ 9,324) उद्धृत किया था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि सी.पी.सी. ने नई शर्तें जैसे फर्म का स्थानीय सेवा केन्द्र नहीं था, फर्म द्वारा निविदा के साथ अन्य राज्यों के पुलिस विभाग/सैन्य बलों को आपूर्ति/विक्रय करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया, मॉडल का उपयोग विभाग द्वारा इससे पहले नहीं किया गया और अन्य स्रोतों से उनका कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, को शामिल किया, जो बोलियों के मूल्यांकन के लिए बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं की गई थी। 20/25 वाट वायरलेस सेटों के संबंध में ₹ 8,342 प्रति इकाई न्यूनतम दर की तुलना में ₹ 10,122 प्रति इकाई का उच्चतर दर उद्धृत करने वाले फर्म और 2/5 वाट वायरलेस सेटों के लिए ₹ 5,096 प्रति इकाई न्यूनतम दर की तुलना में ₹ 9,324 प्रति इकाई दर को अनुमोदित करने के सी.पी.सी. के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 2.15 करोड़ का अनियमित क्रय हुआ तथा ₹ 64.98 लाख (20/25 वाट वायरलेस सेट के लिए ₹ 20.50 लाख और 2/5 वाट वायरलेस सेट के लिए ₹ 44.48 लाख) का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014) कि वायरलेस सेटों का क्रय सी.पी.सी. की अनुशंसा के आधार पर पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सबसे कम बोली को स्वीकार नहीं करने के लिए सी.पी.सी द्वारा अभिलिखित किए गए कारण एन.आई.टी. के शर्तों का हिस्सा नहीं थे और जी.एफ.आर. 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन थे। सी.पी.सी. ने टी.ई.सी. की अनुशंसाओं, कि तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त मॉडलों ने न्यूनतम निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किया और विभाग के लिए उपयोगी थे, की उपेक्षा की और छठवें तथा आठवें सबसे कम बोली लगाने वाले की अनुशंसा कर दी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

3-1-12 iol l'kkf/kr njk d mi;kx d dkj.k i'keu 'kYd jkf'k dh de olyh

ekVj okgu vf/kfu;e 1988 d rgr iol l'kkf/kr njk ij i'keu 'kYd dh olyh d ifj.kkeLo:i jkf'k ₹ 65-99 yk[k d i'keu 'kYd dh de olyhA

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 29 के अनुसार, कोई विशेष व्यवस्था के अधीन जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी विशेष वर्ग की प्राप्तियों के लिये प्राधिकृत की गई हो, विभागीय नियंत्रण अधिकारियों का यह देखने का कर्तव्य है कि शासन को देय समस्त धनराशि नियमित रूप से तथा तत्परता से निर्धारित कर वसूल की जा रही है तथा संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा की जा रही है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम) की धारा 200 के अन्तर्गत, कोई अपराध किया गया हो जो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय हो, ऐसे राशि के लिए प्रशमन किया जा सकता है जो राज्य शासन, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 की सं. 59) की धारा 200 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं परिवहन विभाग की अधिसूचना (अगस्त 2005) के अधिक्रमण में, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सरकारी राजपत्र (मार्च 2012) में विभिन्न धाराओं[10] के अन्तर्गत दण्डनीय विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए प्रशमन शुल्क की दरों में संशोधन किया गया जिसे आगे और संशोधित किया (जनवरी 2013)।

आठ[11] जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एस.पी.) के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि मोटर वाहन और यातायात से संबंधित कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पंजीकृत 20,128 मामलों में, इस तथ्य के बावजूद कि, प्रशमन शुल्क की दरें मध्यप्रदेश शासन द्वारा सरकारी राजपत्र में संशोधित कर दी गई थी (मार्च 2012 से जनवरी 2013), प्रशमन शुल्क पूर्व संशोधित दरों पर लगाया गया जो कि संशोधित दरों की तुलना में कम थे। इसके परिणामस्वरूप प्रशमन शुल्क राशि ₹ 65.99 लाख कम अधिरोपित हुआ। जिलेवार विवरण ifjf'k"V 3-12 में दर्शाए गए हैं।

[10] मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 124, 130, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 190, 192, 194, 196 एवं 198

[11] शाजापुर, सागर, शहडोल, अनूपपुर, और दमोह (जनवरी 2015), टीकमगढ़ (फरवरी 2015), रीवा (मार्च 2015) और उमरिया (अप्रेल 2015)

इस ओर इंगित किये जाने पर, एस.पी., शाजापुर (मई 2015), एस.पी., शहडोल, अनूपपुर (जनवरी 2015), एस.पी., दमोह, सागर, टीकमगढ़ (फरवरी 2015), एस.पी., रीवा (मार्च 2015) एवं एस.पी., उमरिया (अप्रेल 2015) द्वारा अवगत कराया कि संशोधित दरों के निर्देश देर से प्राप्त हुए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि प्रशमन शुल्क की राशि सरकारी राजपत्र में निर्धारित संशोधित दर से उसकी अधिसूचना की तारीख से वसूल की जानी थी। इससे आगे परिलक्षित हुआ कि इस तरह के आदेशों/अधिसूचनाओं का क्रियान्वयन शाखाओं को तत्काल संचार सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप प्रशमन शुल्क की राशि ₹ 65.99 लाख कम वसूली हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

efgyk ,oa cky fodkl foHkkx

3-1-13 [kk|kUu ds ewY; dh de olwyh

lk>k pwYgk dk;Øe ds vUrxZr idk gqvk Hkkstu iznk; djus gsrq lyXu Lo&lgk;rk lewgksa ls [kk|kUu ds ewY; dh de olwyh jkf'k ₹ 4-82 djksM+

म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.डी.) द्वारा तीन से छह वर्ष के बच्चों को पोषण आहार की आपूर्ति हेतु जारी निर्देश (अक्टूबर 2009) के अनुसार, परियोजना अधिकारी (पी.ओ.) द्वारा पिछले तीन माहों में हितग्राहियों की औसत उपस्थिति के आधार पर, स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को खाद्यान्न[12] का त्रैमासिक निर्गम आदेश (आर.ओ.) जारी किया जाएगा। आर.ओ. के अनुसार एस.एच.जी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकानों से खाद्यान्न को उठाया जाएगा।

जुलाई 2010 में, विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए कि जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.) द्वारा खाद्यान्न के मूल्य[13] की राशि अग्रिम के रूप में मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एम.पी.एस.सी.एस.सी.) को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि एस.एच.जी द्वारा पी.डी.एस. दुकानों से खाद्यान्न को निःशुल्क प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक माह के अन्त में एस.एच.जी. द्वारा पका हुआ नाश्ता एवं भोजन हेतु ₹ 4 प्रति बच्चों की दर से भुगतान हेतु दावा किया जाएगा। एस.एच.जी. द्वारा डी.पी.ओ. को प्रस्तुत देयकों से खाद्यान्न के मूल्य[14] की वसूली की जाएगी। आगे, म.प्र. शासन, डब्ल्यू.सी.डी.डी. द्वारा निर्देश जारी किए गए (फरवरी 2014) कि एस.एच.जी. को पी.डी.एस. दुकानों से खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, मध्यान्ह भोजन योजना की प्रक्रिया के अनुसार अर्थात एस.एच.जी. से खाद्यान्न के मूल्य की वसूली नहीं की जाएगी।

पांच जिला कार्यक्रम अधिकारी[15] एवं पी.ओ., खण्ड फन्दा, जिला भोपाल (मार्च 2015) के कार्यालयों में सम्बन्धित अभिलेखों की जांच एवं आगे एकत्रित जानकारी में पाया गया कि जुलाई 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु ₹ 21.92 करोड़ का भुगतान एम.पी.एस.सी.एस.सी. को किया

---

12 गेहूँ एवं चावल

13 गेहूँ ₹ 463 प्रति क्विंटल, चावल ₹ 607 प्रति क्विंटल

14 गेहूँ ₹ 500 प्रति क्विंटल, चावल ₹ 650 प्रति क्विंटल में लीड समितियों के परिवहन प्रभार, समितियों के प्रशासनिक प्रभार तथा उचित मूल्य की दुकान का कमीशन क्रमशः गेंहू ₹ 37 एवं ₹ 43 प्रति क्विंटल सम्मिलित है

15 बालाघाट (मई 2013 एवं मई 2014), रायसेन (अक्टूबर 2013 एवं मई 2014), छिन्दवाड़ा (फरवरी 2015 एवं मई 2015), पन्ना (फरवरी 2014 एवं जून 2014), उमरिया (जनवरी 2014 एवं दिसम्बर 2014)

गया। इस प्रकार, ₹ 23.62 करोड़ (₹ 21.92 करोड़ + ₹ 1.70 करोड़ अन्य प्रभार मद में) की राशि 6,029 एस.एच.जी. के देयकों से दिसम्बर 2013 तक वसूल की जानी थी। आगे, जांच में हमने देखा कि एस.एच.जी. को मार्च 2014 तक का भुगतान किया जा चुका था। डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा मार्च 2014 तक मात्र ₹ 18.95 करोड़ वसूल किए गए थे। इस प्रकार डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा ₹ 4.82 करोड़ कम वसूल किए गए थे। विस्तृत विवरण ifjf'k"V 3-13 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर डी.पी.ओ./पी.ओ.[16] ने बताया कि वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। आगे, डी.पी.ओ. रायसेन एवं बालाघाट ने सूचित किया (सितम्बर एवं नवम्बर 2014) कि सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली एस.एच.जी. के देयकों से कर ली गई है। इस प्रकार, ₹ 3.56 करोड़ की राशि अभी भी वसूली हेतु शेष थी।

डी.पी.ओ. के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा खाद्यान्न के मूल्य की वसूली मार्च 2014 तक के देयकों से की जानी चाहिए थी। आगे, संशोधित निर्देशों (फरवरी 2014) के अनुसार एस.एच.जी. को खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा तथा एस.एच.जी को मार्च 2014 तक का भुगतान किया जा चुका था, एस.एच.जी से वसूली कठिन होगी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा खाद्यान्न की राशि वसूली किए जाने एवं वसूली का अनुवीक्षण किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं (जून एवं जुलाई 2015)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

3-2 vlko/kkuh@ iz'kklfud fu;=.k esa foQyrk

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे। जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां अप्रयुक्त/अवरुद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुईं। कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है।

vk;q"k foHkkx

3-2-1 vkS"kf/k ijh{k.k iz;ksx'kkyk dk xSj lapkyu

'kkldh; vk;qosZfnd egkfo|ky;] Xokfy;j esa Hkkjr ljdkj }kjk foRr iksf"kr vkS"kf/k ijh{k.k iz;ksx'kkyk ds xSj lapkyu ds dkj.k ₹ 82-72 yk[k dk fu"Qy O;;A

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा शासकीय औषधालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित योजना पुनःस्थापित (नवम्बर 2000) की गई थी। योजना में प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रूपये तक की एक बार

---

16 बालाघाट (मई 2013), डी.पी.ओ. रायसेन (अक्टूबर 2013), डी.पी.ओ., छिन्दवाड़ा (फरवरी 2015 एवं मई 2015), डी.पी.ओ., पन्ना (फरवरी 2014 एवं जून 2014), डी.पी.ओ., उमरिया (दिसम्बर 2014), एवं पी.ओ. आई.सी.डी.एस. खण्ड फन्दा जिला भोपाल (फरवरी 2015)

केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से तीन वैज्ञानिक अधिकारियों तथा चार सहायक कर्मचारियों से चलाया जाना था। प्रयोगशाला को दो वर्षों में पूर्णतः संचालित होना था तथा प्रतिवर्ष परीक्षण के 500 औषधि नमूनों के लक्ष्य को पूरा करना था।

आयुष[17] (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी) संचालनालय म.प्र. शासन ने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा (जुलाई 2001)। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष संचालनालय म.प्र. शासन के प्रस्ताव के आधार पर, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ग्वालियर में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु एक करोड़[18] रूपये स्वीकृत[19] किए थे। इसके अतिरिक्त, संसदीय स्थायी समिति ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ग्वालियर के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त ₹ 35 लाख की अनुशंसा की। भारत सरकार ने पूर्व के अनुदान से खर्च नहीं की गई राशि के रूप में ₹ 19.31 लाख घटाकर ₹ 15.69 लाख स्वीकृत किए थे (सितम्बर 2008)। इस प्रकार, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिये भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 1.16 करोड़ जारी किए गए थे।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2014) में यह देखा गया कि भवन के निर्माण पर ₹ 22.44 लाख, 'मशीनरी और उपकरण' की खरीद पर ₹ 54.57 लाख तथा फर्नीचर पर ₹ 3.68 लाख का व्यय किया गया था। भारत सरकार को ₹ 80.69 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया था (जून 2006)। आगे, राशि ₹ 2.03 लाख का व्यय किताबों की खरीद, स्टेशनरी तथा बिजली फिटिंग के लिए दिसम्बर 2008 तक किया गया था। तथापि, सहायता अनुदान की बकाया राशि ₹ 33.28 लाख अप्रयुक्त बची हुई थी और आयुष संचालनालय के बैंक खाते में रखी गई थी। खरीदे गए मशीन और उपकरण संस्थापित नहीं किए गए थे और नौ वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय रखे हुए थे (नवम्बर 2014)।

यह भी पाया गया कि शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ग्वालियर ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए पदों का सृजन करने के लिए संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म. प्र. भोपाल को प्रस्ताव भेजे थे (अक्टूबर 2002, मई 2004) और तत्पश्चात संचालक आयुष द्वारा म.प्र. शासन को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के कार्य संचालन के लिए वैज्ञानिक अधिकारियों के दो पद और सहायक स्टाफ के चार पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे (सितम्बर 2003, जून 2005 तथा फरवरी 2008)। म.प्र. शासन द्वारा जनवरी 2009 में वैज्ञानिक अधिकारियों के दो पद तथा सहायक स्टाफ के चार पद स्वीकृत किए गए थे। तथापि यह पद रिक्त पड़े हुए थे और अभी भी भरे जाने थे (अक्टूबर 2014)।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की। यह भी सूचित किया गया कि कर्मचारियों की

---

17 संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का नाम सितम्बर 2008 में संचालनालय आयुष किया गया था।

18 भवनः ₹ 25 लाख; मशीनरी/उपकरणः ₹ 65 लाख; संविदा जनशक्तिः ₹ 10 लाख।

19 मार्च 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त ₹ 95 लाख स्वीकृत किए गए थे और बकाया ₹ 5 लाख अक्टूबर 2004 में प्रदाय किए गए थे।

भर्ती प्रक्रियाधीन है इसके पश्चात औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को क्रियाशील बनाया जाएगा।

तथ्य यह हैं कि औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का दस वर्षों बाद भी प्रचालन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पदों की स्वीकृति 2009 में प्राप्त हुई थी परन्तु पद अभी भी भरे जाने थे। अतः औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण पर किया गया व्यय ₹ 82.72 लाख निष्फल साबित हुआ।

mPp f'k{kk foHkkx

3-2-2 dU;k egkfo|ky; d: Hkou fuekZ.k ij fu"Qy 0;;

₹ 1-28 djkM+ dh ykxr ls fufeZr dU;k egkfo|ky; Hkou d: mi;ksx u gksu: d: ifj.kkeLo:Ik fu"Qy 0;;A

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली का पैरा 2.031 प्रावधानित करता है कि सार्वजनिक भवन के लिए स्थल का चयन कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासनिक निकाय का एक प्रतिनिधि, संबंधित विभाग का वरिष्ठ प्रतिनिधि और उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से मिलकर बनी समिति द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.034 के संदर्भ में, भूमि का अधिग्रहण करने तथा लोक निर्माण विभाग को सौंपने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगौन के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2014) में पाया गया कि सात एकड़ जमीन का भूखण्ड एक निजी व्यक्ति द्वारा 1992 में शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगौन, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन के परिसर में संचालित हो रहा था, के भवन निर्माण के लिए दान किया गया था। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा को सूचित किया गया था (जून 1992) कि भूखण्ड शासकीय कन्या महाविद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह शहर से करीब दो किलोमीटर दूर बिना पंहुच मार्ग के निर्जन क्षेत्र में स्थित था। कलेक्टर खरगौन ने प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा विधानसभा के स्थानीय सदस्य के साथ स्थल का निरीक्षण किया (अगस्त 1992) और स्थल को शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए अनुशंसित किया (सितम्बर 1992)। मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगौन के भवन निर्माण के लिए ₹ 76.80 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 1996) और आगे ₹ 1.04 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2003)। शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन का निर्माण, लोक निर्माण विभाग संभाग खरगौन द्वारा ₹ 84.20 लाख की लागत से किया गया था और महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा भवन दिसम्बर 2009 में ले लिया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, बिजली कनेक्शन, नलकूप तथा रखरखाव पर ₹ 13.20 लाख[20] का व्यय भी किया गया था। शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य ने पुनः (नवम्बर 2010) आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को नवनिर्मित शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन की अनुपयुक्तता सूचित की थी और बताया था कि महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा नवीन भवन में महाविद्यालय के स्थानांतरण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय ने कलेक्टर खरगौन को सूचित किया (जनवरी

---

20 ₹ 9.20 (बिजली कनेक्शन) + ₹ 4.00 (रखरखाव) = ₹ 13.20 लाख ।

2011) कि वर्तमान परिसर (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) केवल 410 छात्रों को समायोजित कर सकता है जो कि 1,195 छात्रों[21] के लिए बहुत छोटा है, भले ही महाविद्यालय दो पालियों में चल रहा था तथा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अनुरोध किया था। तथापि इसके अतिरिक्त, ₹ 14.05 लाख की राशि, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2011–12 के दौरान उपलब्ध कराई गई थी, क्वार्टरों, प्रयोगशाला, मंच और रैम्प के निर्माण पर खर्च की गई थी। नवीन भवन में 2012–13 के दौरान ₹ 16.60 लाख की लागत से ई–लर्निंग रिसोर्स केन्द्र स्थापित किया गया था और उपकरण अर्थात कम्प्यूटर, फोटोकॉपीयर, प्रोजेक्टर इत्यादि संस्थापित किए गए थे जो कि महाविद्यालय के नवीन भवन में अस्थानांतरण के कारण निष्क्रिय पड़े हुए थे।

इस प्रकार, ₹ 128.05 लाख[22] के व्यय के बावजूद, बिना किसी पंहुच मार्ग और परिवहन सुविधा के निर्जन क्षेत्र में स्थित नव निर्मित भवन पांच वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा था एवं इसके अतिरिक्त अप्रयुक्त भवन और अन्य सुविधाओं पर निष्फल व्यय, निर्जन क्षेत्र में शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए विभाग की दोषपूर्ण योजना निर्णय ने शासकीय कन्या महाविद्यालय में नामांकित छात्राओं की शिक्षा को प्रतिकूलतः प्रभावित किया है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में सरकार ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की और सूचित किया कि चार दीवारी का कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण हो जाएगा और शासकीय कन्या महाविद्यालय नवीन भवन में जनवरी 2016 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

vkfne tkfr dY;k.k foHkkx

3-2-3 fu;=.k i.kkyh d vHkko d dkj.k ykxr of)

fu;=.k i.kkyh dh foQyrk d dkj.k vkfnoklh Nk=k d fy; vkoklh; fo|ky; Hkou d fuek.k e ykxr of) ₹ 95-68 yk[k] ftll Hkou i.k gku e vl/kkj.k foyEc Hkh gvkA

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) की स्थापना हेतु भारत सरकार ने अग्रिम के रूप में ₹ 1.00 करोड़ स्वीकृत किए (दिसम्बर 2005)। विद्यालय के निर्माण के लिए अनावर्ती व्यय ₹ 2.50 करोड़ से सीमित होगा। मध्यप्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने ई.एम.आर.एस. की स्थापना हेतु इन शर्तो के साथ प्रशासकीय स्वीकृति जारी की (मार्च 2006) कि (अ) भवन निर्माण के लिए मौद्रिक सीमा ₹ 2.50 करोड़ से सीमित होगी (ब) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित भवन के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा (स) निर्माण कार्य की समयावधि 24 माह होगी (द) निर्माण कार्य म.प्र. लोक निर्माण विभाग की नियमावली तथा उसकी तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार किया जाएगा, निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से नियमित रूप से विभाग को अवगत कराया जाएगा, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के साथ पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्य का मूल्यांकन आयुक्त, आदिवासी विभाग (सी.टी.डी.) द्वारा नियुक्त एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। आगे, निर्माण कार्य की लागत में एक *प्रतिशत* का प्रावधान शामिल किया जाएगा एवं निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा पर्यवेक्षण एजेन्सी को भुगतान किया जाएगा।

---

21 अगस्त 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल नामांकित छात्रों की संख्या 1,613 थी और महाविद्यालय उसी इमारत में संचालित हो रहा था।

22 ₹ 84.20 लाख + ₹ 13.20 लाख + ₹ 14.05 लाख + ₹ 16.60 लाख = ₹ 128.05 लाख ।

कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, उमरिया (ए.सी.टी.डी.) में ई.एम.आर.एस. के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2013) एवं पुनः एकत्रित की गई जानकारी (दिसम्बर 2014) में पाया गया कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (एम.पी. एच.बी.) को आयुक्त, आदिवासी विकास ने निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया (जून 2006)।

एम.पी.एच.बी. ने ई.एम.आर.एस. के निर्माण के लिये ₹ 2.50 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की (अगस्त 2006) तथा एम.पी.एच.बी, कटनी संभाग को ई.एम.आर.एस. के निर्माण के लिये नियुक्त किया। एम.पी.एच.बी (कटनी) ने चालू अनुसूची दर (सी.एस. आर.) 1999 पर कार्य आदेश जारी किया (मई 2007)। निर्माण कार्य एक ठेकेदार को दो भागों में संविदा मूल्य ₹ 96.23 लाख एवं ₹ 110.57 लाख पर क्रमशः नौ एवं दस माह की पूर्णता अवधि वर्षाकाल सहित दिया गया। स्वीकृति की शर्तो के अनुसार, सी.टी.डी. द्वारा निर्माण कार्य के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किसी भी एजेन्सी को नियुक्त नहीं किया गया। यह भी देखा गया था कि सी.टी.डी. द्वारा नियुक्त एजेन्सी को दिये जाने वाले एक *प्रतिशत* पर्यवेक्षण प्रभार का प्रावधान भी तकनीकी स्वीकृति में शामिल नहीं किया गया था।

यद्यपि, कलेक्टर, उमरिया ने निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया (अप्रैल 2008) एवं किए गए कार्य को निम्न गुणवत्ता का एवं मानदण्डों के अनुसार नहीं होना पाया। उन्होंने निर्माण कार्य को स्थगित करने हेतु निर्देश दिए एवं विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया (अगस्त 2008) जिसमें कहा गया कि पहले भवन के निर्माण कार्य की कमियों को दूर किया जाना चाहिए तत्पश्चात शेष निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। तदनुसार कलेक्टर ने कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किए।

इसी बीच निर्माण कार्य 19 माह (अप्रैल 2008 से सितम्बर 2009) तक स्थगित रहा। ए.सी.टी.डी. ने शेष निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किए जाने हेतु स्वीकृति आदेश एम.पी.एच. बी. कटनी को जारी किया (अक्टूबर 2009)। पहले ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में देरी एवं निर्माण लागत में वृद्धि होने के कारण कार्य पुनः प्रारम्भ करने से इन्कार कर दिया। एम.पी.एच.बी (कटनी) ने अनुबन्ध की धारा 3(ए) के अन्तर्गत ठेका निरस्त (फरवरी 2009) कर दिया। तथापि, ₹ 60.44 लाख का भुगतान ठेकेदार को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए किया गया तथा राशि ₹ 1.43 लाख ठेकेदार से वसूल की गई।

आगे, एम.पी.एच.बी ने शेष निर्माण कार्य, सी.एस.आर. 2009 पर आधारित वर्षाकाल सहित दस माह की पूर्णता अवधि के साथ अन्य ठेकेदार को आवंटित किया (नवम्बर 2009)। एम.पी.एच.बी. द्वारा निर्माण कार्य हेतु धनराशि के सुचारू प्रवाह के लिए नियमित अनुरोध के बावजूद भी धन प्रदाय नही किया गया तथा ई.ई., एम.पी.एच.बी. ने इस तथ्य से उप आयुक्त, एम.पी.एच.बी. रीवा को अवगत कराया कि नियमित रूप से धन की उपलब्धता की कमी के कारण निर्माण कार्य पुनः आठ माह की अवधि के लिये रोक दिया गया था। सी.टी.डी. ने एम.पी.एच.बी. के पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 331.70 लाख के आधार पर अतिरिक्त धनराशि ₹ 96.29 लाख शेष निर्माण कार्य को वास्तविक रूप से अभिनिश्चित किये बिना स्वीकृति दी (अक्टूबर 2012)।

इस प्रकार, एम.पी.एच.बी. को कुल ₹ 346.29[23] लाख का भुगतान किया गया। आगे, एम.पी.एच.बी. से एकत्रित जानकारी में पाया गया (अक्टूबर 2015) कि राशि ₹ 345.68 लाख भवन निर्माण पर व्यय की गई। इस प्रकार, निर्माण में विलम्ब से ₹ 95.68 लाख की लागत वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियन्त्रण इत्यादि हेतु एजेन्सी का नियुक्त न करना था।

23 ₹ 50.00 लाख (नवम्बर 2007), ₹ 50.00 लाख (अक्टूबर 2009), ₹ 75.00 लाख (अप्रैल 2010), ₹ 66.00 लाख (अक्टूबर 2010), ₹ 9.00 लाख (नवम्बर 2010), ₹ 96.29 लाख (अक्टूबर 2012)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2013), ए.सी.टी.डी. ने बताया कि निम्न गुणवत्ता का कार्य होने के कारण कार्य स्थगित किया गया था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया जिससे लागत पुनरीक्षित हुई जो कि सी.टी.डी. द्वारा स्वीकृत की गई थी। ए.सी.टी.डी. ने यह भी बताया (दिसम्बर 2014) कि भवन दिसम्बर 2014 में पूर्ण हो चुका था, बाउन्ड्रीवाल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण हो जाने के पश्चात विद्यालय नए भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.टी.डी. ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान की शर्तों की अनदेखी की। इसके अतिरिक्त, यदि सी.टी.डी. द्वारा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एजेन्सी नियुक्त की गयी होती तो कार्य की गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती थी तथा कार्य निर्धारित समय अर्थात मार्च 2008 तक पूर्ण किया जा सकता था। सभी स्तरों पर अनुवीक्षण के अभाव में, भवन की पूर्णता में असाधारण देरी हुई जिसके कारण कार्य को अन्य ठेकेदार द्वारा कराया गया था जो कि 2009 सी.एस.आर. के अनुसार बढ़ी हुई दर पर आधारित, स्वीकृत था, परिणामस्वरूप ₹ 95.68 लाख[24] की लागत वृद्धि हुई। भवन निर्धारित तिथि से छह वर्ष पश्चात पूर्ण हुआ तथा इसको आदिवासी विभाग को हस्तान्तरित किया जाना अभी भी शेष है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

3-2-4 osru ,oa HkRrk ij fu"Qy O;;

if'k{k.k lg mRiknu dsUnz ds vlapkfyr jgus ds dkj.k osru ,oa HkRrk ij fu"Qy O;; ₹ 1-85 djksM+

मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, द्वारा चार शिल्पों बढ़ई, सिलाई, लोहार एवं कारीगर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को रोजागारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र (टी.सी.पी.सी.) की स्थापना (1963–64) भिण्ड में की गई। केन्द्र का संचालन जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण (डी.ओ.टी.डब्ल्यू.) द्वारा किया जा रहा था। टी.सी.पी.सी. के लिये विभिन्न संवर्गो[25] में 17 पद स्वीकृत किए गए थे तथा प्रत्येक शिल्प में 12 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना था।

कार्यालय डी.ओ.टी.डब्ल्यू. भिण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2014, अप्रैल 2015 एवं आगे एकत्रित जानकारी सितम्बर 2015) में पाया गया कि टी.सी.पी.सी. असंचालित था तथा प्रशिक्षणों का आयोजन वर्ष 2008–09 से नहीं किया गया था। वर्ष 2008–09 से 2015–16 (अगस्त 2015 तक) की अवधि में टी.सी.पी.सी. में 12 कर्मचारी पदस्थ किए गए एवं उनके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.85 करोड़ व्यय किए गए थे। हमने आगे देखा कि वर्ष 2008–09 से 2015–16 (अगस्त 2015 तक) की अवधि में विभाग द्वारा प्रशिक्षण में उपयोगी कच्चे माल एवं शिष्यवृत्ति के लिए कोई भी आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया तथा डी.ओ.टी.डब्ल्यू. द्वारा टी.सी.पी.सी. को संचालित किए जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह भी पाया गया कि टी.सी.पी.सी. का समस्त अमला डी.ओ.टी.डब्ल्यू. कार्यालय में पूर्व में पदस्थ अमले के अतिरिक्त पदस्थ एवं कार्यरत था। इस प्रकार टी.सी.पी.सी. में पदस्थ अमले के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.85 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

---

24 ₹ 345.68 लाख–₹ 250.00 लाख

25 स्वीकृत पद : प्रबन्धक –1, प्रशिक्षक–4, अर्द्ध कुशल कारीगर–4, लेखापाल–1, सहायक ग्रेड 3–2, भृत्य–5

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर डी.ओ.टी.डब्ल्यू. ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2014) एवं आगे बताया (अप्रैल 2015) कि टी.सी.पी.सी. में पदस्थ अमले को डी.ओ.टी.डब्ल्यू. कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थ किया गया है।

डी.ओ.टी.डब्ल्यू. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय डी.ओ.टी.डब्ल्यू. में कोई भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं था जिसके विरूद्ध टी.सी.पी.सी. के अमले की पदस्थापना की जा सके। जबकि तथ्य यह है कि टी.सी.पी.सी. के अमले को डी.ओ.टी.डब्ल्यू. कार्यालय में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदस्थ किया गया था एवं टी.सी.पी.सी के वर्ष 2008–09 से असंचालित रहने से अमले को भुगतान किए गए वेतन एवं भत्ते निष्फल रहे तथा टी.सी.पी.सी. को प्रारम्भ करने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2015)।

Xokfy;j
fnukad

¼lkjHk ds- efYyd½
egkys[kkdkj
¼lkekU; ,o lkekftd {ks= ys[kkijh{kk½
e/; izns'k

ifrgLrk{kfjr

ubZ fnYyh
fnukad

¼'kf'k dkUr 'kekZ½
Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd